

1.	योजना का नाम	उत्पाद विविधीकरण योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राज्य सरकार द्वारा राज्य के बुनकरों की उत्पादन क्षमता के विकास हेतु उत्पाद विविधीकरण योजनान्तर्गत देश के अन्य प्रदेशों में कार्यरत हाथकरघा इकाइयों/समितियों के अध्ययन हेतु बुनकरों को राज्य सरकार के खर्च पर भेजे जाने के उद्देश्य से यह योजना आरम्भ की गई है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2004–05
4.	लाभान्वित वर्ग	सभी बुनकर वर्ग
5.	पात्रता	बुनकर स्वयं अथवा किसी हाथकरघा सहकारी समिति का सदस्य हो।
6.	देय सुविधाएं	यात्रा पर होने वाला व्यय का पूर्ण खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
7.	आवेदन का तरीका	जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्ताव चाहे जाने पर आवेदक पत्र सहित सूची में नाम इन्द्राज कराना।
8.	आवेदन कहाँ किया जाये	जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से आयुक्त उद्योग कार्यालय को।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन प्रस्तुत एवं उसमें चाही गई सूचनाओं की पूर्ति, सहकारी समिति सदस्य होने का प्रमाण पत्र इत्यादि।
10.	सम्पर्क सूत्र	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
11.	निर्धारित समय—सीमा	यात्रा का पूर्ण खर्च स्वयं राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है।
12.	निर्धारित सहायता/सुविधाएं नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	साधारण पत्र द्वारा
	शिकायत का समाधान होने की समय—सीमा	निर्धारित नहीं
13.	बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित अधिकारी से भी शिकायत का समाधान न होने पर जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	आयुक्त, उद्योग विभाग, राज0 जयपुर
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	साधारण पत्र द्वारा
	शिकायत का समाधान होने की समय—सीमा	निर्धारित नहीं
14.	योजना अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता क्या बैंक में जमा होगी अथवा ड्राफ्ट/चैक के द्वारा दी जावेगी	— नहीं — सहायता का अभिप्राय निःशुल्क यात्रा से है
15.	यदि सहायता राशि बैंक में जमा होगी तो खाता खोलने के लिए किससे संपर्क करना है	— आवश्यकता नहीं —

16	कैसे जानकारी होगी कि राशि खाते में जमा हो गई है	— आवश्यक नहीं —
17.	योजना के अन्तर्गत क्या ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है	— नहीं —
	यदि हाँ, तो वेबसाइट का पता	—